फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)

जगदीश पिता तेजमल बिडला नि. ईटुन्दा

बनाम

रफीक पिता कासम मुसलमान नि. ईटुन्दा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 502/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
15.06.22	प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम ईटुन्दा प. ह. ईटुन्दा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 953 कुल किता 1 रकबा 0.0890 हैक्टेयर तथा आ. न. 606, 715/2, 718/3, 719, 720, 722, 725, 785, 931/1, 933, 934, 936, 937, 938, 939, 940, 943, 944, 949, 950, 959, 960, 962, 968, 970 कुल किता 25 रकबा 5.7059 हैक्टेयर तथा आ. न. 935 कुल किता 1 रकबा 0.2185 हैक्टेयर तथा आ. न. 932 कुल किता 1 रकबा 0.0486 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडोसी अप्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद मे प्रार्थी का शपथ पत्र सलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ सलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम ईटुन्दा प. ह. ईटुन्दा तहसील जहाजपुर मे स्थित आ. न. 953 कुल किता 1 रकबा 0.0890 हैक्टेयर तथा आ. न. 606, 715/2, 718/3, 719, 720, 722, 725, 785, 931/1, 933, 934, 936, 937, 938, 939, 940, 943, 944, 949, 950, 959, 960, 962, 968, 970 कुल किता 25 रकबा 5.7059 हैक्टेयर तथा आ. न. 935 कुल किता 1 रकबा 0.2185 हैक्टेयर तथा आ. न. 932 कुल किता 1 रकबा 0.0486 हैक्टेयर की पडोसियान की उपस्थिति मे पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक तुलारीकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000- रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 100 रू. राजकोष मे जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 15.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर(भीलवाडा)	